संख्या–2680 / 37–2–2016–1(32) / 2015टी0सी0– I

प्रेषक,

दया शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक(प्रशासन एवं विकास)
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग–2

लखनऊः: दिनांक 14 दिसम्बर, 2016

विषयः: बहुउददेशीय सचल पशु चिकित्सा सेवायें (राज्य योजना) अन्तर्गत आउटसोर्सिंग द्वारा सेवा प्रदाता फर्मो के माध्यम से वाहन चालको की व्यवस्था अन्तर्गत अनुबन्ध के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुबन्ध पत्र / प्रस्ताव संख्या–363 / सा0–एक / एक्स–84(120) / बहु0स0प0चि0से0 / 2016–17, दिनांक 07 दिसम्बर, 2016 पर अनापत्ति प्रदान करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रकरण में अपने स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–अनुबन्ध पत्र (मूलरूप में)।

भवदीय

(दया शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव

अनुबन्ध–पत्र

यह अनुबन्ध–पत्र आज(––––) दिनांक .... 2016 को ––––––––के मध्य जिनका कार्यालय ––––––––, जनपद––––––में(जिसका तात्पर्य प्रथम पक्ष हैं और जो यदि अन्यथा अभिव्यक्त न किया जाये तो इसके उत्तराधिकारी व समानोदेशी को सम्मिलित करते हुए) प्रथम पक्ष

और

.... जिनके कार्यालय निम्न स्थानों पर उपलब्ध हैं–––––––––––––––– .... जनपद (एतद्द्वारा द्वितीय पक्ष सम्बोधित किया जायेगा, जिसका तात्पर्य यदि अन्यथा न कहा जाये तो द्वितीय पक्ष के उत्तराधिकारी व समानादेशी होगें) द्वितीय पक्ष माना जायेगा, के मध्य सम्पादित किया जा रहा है।

1. **परिप्रेक्ष्य** – जबकि यह संस्था (.................... जो मानव शक्ति, स्टाफ इत्यादि विभिन्न संगठनों एवं संस्थानों को उपलब्ध कराती है, जिससे कि उनकी अतिरिक्त/अस्थायी स्टाफ की आवश्यकता, जिसमें कुशल एवं अकुशल सेवायें सम्मिलित हैं एवं उनकी उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

तथा जबकि प्रथम पक्ष (मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग, जनपद–..........................) जो एक राजकीय पदाधिकारी हैं और पशुपालन निदेशालय के अधीन पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन कार्यरत हैं और उसके कार्यक्षेत्र में विभिन्न कार्यालय/अधीनस्थ कार्यालय तथा पशु चिकित्सालय/क्लीनिक/संस्थान जो उसके अधिकार क्षेत्र में स्थित हैं और जिनके निम्न................................ क्षेत्रीय कार्यालय और जनपद में .... की सीमा में स्थित हैं तथा जबकि प्रथम पक्ष पशुधन विकास और तत्सम्बन्धी कार्यो में अपने जनपद/कार्यक्षेत्र में उनके निष्पादन में संलग्न है, जिसमें पशुधन चिकित्सा सेवायें, पशु प्रजनन, जैविक टीकाकरण इत्यादि को सम्मिलित करते हुए तथा उक्त के अतिरिक्त अन्य सम्बन्धित कार्यो के क्रियान्वयन के लिए तत्सम्बन्धी कानून एवं विधिक प्राविधानों के अनुसार कार्य करता हैं।

तथा जबकि प्रथम पक्ष उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन कार्यरत रहते हुए इन योजनाओं के उद्देश्यों की देख–रेख तथा क्रियान्वयन के लिए अपने जनपद/क्षेत्रीय कार्यालय (यथा स्थिति) के लिए सक्षम प्राधिकारी है तथा जबकि प्रथम पक्ष द्वारा सम्पादित कुशल मानव शक्ति पर आधारित है।

तथा जबकि बहुद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवायें–योजना जो पशुपालन विभाग द्वारा संचालित है, के संचालन हेतु ड्राइवरों की आवश्यकता एवं उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्रथम पक्ष ने विभिन्न संचालकों से जनशक्ति (ड्राइवर) जो तात्कालिक तथा अस्थायी उपलब्धता को पूरा करने के लिए आऊट सोर्सिंग के आधार पर प्रस्ताव मांगा था तथा जबकि प्रथम पक्ष के इस जानकारी उपलब्ध करने के परिप्रेक्ष्य में द्वितीय पक्ष ने विचार विनिमय के पश्चात सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और यह भी उल्लेख किया है कि द्वितीय पक्ष के पास इस क्षेत्र में कार्य करने हेतु आवश्यक अनुभव, वित्तीय क्षमता तथा यथाआवश्यक जनशक्ति

उपलब्धता तथा तकनीकी एवं परिचालन सम्बन्धी समस्त अवस्थापना उपलब्ध है और वह प्रथम पक्ष की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है।

तथा जबकि प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष से ऐसा अनुबन्ध करने के लिए पत्र संख्या–................. दिनांक .... द्वारा प्राधिकृत है।

यह अनुबन्ध निम्न की पुष्टि करता है कि प्रथम पक्ष द्वारा, द्वितीय पक्ष द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बदले भुगतान किये जाने की स्वीकार्यता इस बात की सहमति देता है कि इस अनुबन्ध के नियमों एवं प्रतिबन्धों की वे प्रथम पक्ष को उनके द्वारा पूर्ण अथवा भाग के अनुरूप उपयुक्त अर्ह एवं दक्ष ड्राइवर की आपूर्ति करेगा, जो प्रथम पक्ष के मल्टी पर्पज मोबाईल वेटेरीनरी वेहिकल्स (एम0पी0एम0वी0वी0) किसी / सभी ब्लाकों में उपलब्ध है।(जनपद––––––)

अनुबन्ध की अवधि

जनशक्ति (ड्राइवर) को उपलब्ध कराने हेतु इस अनुबन्ध पत्र की अवधि की सीमा दिनांक 31 मार्च,2017 तक है तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 में विशेष परिस्थिति में प्रथम पक्ष की संतुष्टि के आधार पर अधिकतम 03 माह तक बढ़ाई जा सकती है।

3. कार्यक्षेत्र

1. चालक (ड्राइवर) जनशक्ति की तैनाती प्रथम पक्ष की मांग पर आवश्यकतानुसार नीचे दिये गये ब्लाक के अनुसार होगी–

अनुक्रमांक–	ब्लाक का नाम–	चालकों की संख्या
1		
2		
3		
4		

2. चालक (ड्राइवरों) की संख्या बदल सकती है जिसे पूर्व में सूचित कर दिया जायेगा ताकि संस्था आवश्यकतानुसार पूर्ति कर सके।
3. मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा दी गयी मांग के अनुरूप संस्था द्वारा निर्धारित संख्या में चालकों की व्यवस्था की जायेगी।
4. चालक मुख्य रूप से बहुउद्‌देशीय सचल पशुचिकित्सा वाहनों पर लगाये जायेंगे। आकस्मिक परिस्थिति में अन्य विभागीय वाहनों पर निर्धारित पशु सेवायें प्रदान करने हेतु लघु अवधि के लिए भी लगाये जा सकते है।
5. वाहन चालक मुख्य रूप से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उपयोग किये जायेगें। संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये ड्राइवर कार्यालय समय के पहले अथवा पश्चात

और शासकीय अवकाश शनिवार/रविवार को भी ड्यूटी पर बुलाये जा सकते है और वह कार्य अवधि निर्धारित कार्य अवधि में समायोजित मानी जायेगी।

6. प्रथम पक्ष द्वारा समय–समय पर दी गई मांग के अनुसार संस्था द्वारा जनशक्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इन व्यक्तियों को द्वितीय पक्ष (संस्था) का सेवक माना जायेगा तथा उनके द्वारा सम्पादित किये गये कार्यो के अनुरूप द्वितीय पक्ष द्वारा मजदूरी आदि का भुगतान प्रति माह सुनिश्चित किया जायेगा।
7. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये ड्राइवर निम्नलिखित रूप से उत्तरदायी होगें:–

(a) वाहन चालक कार्य अवधि में वाहन की सुरक्षा का उत्तरदायी होगा।
(b) कार्य समाप्ति के पश्चात वाहन को निर्धारित स्थान पर खड़ा करना तथा उसे नामित प्राधिकारी को हस्तगत कराना।
(c) वाहन को जिम्मेदारीपूर्वक चलाना।
(d) यदि वाहन में किसी प्रकार की कोई क्षति होती है तो उसकी सूचना सम्बन्धित अधिकारी को तत्काल देना।
(e) गाड़ी की मरम्मत अथवा तेल आदि की आवश्यकता के सम्बन्ध में अधिकारी को पूर्व से सूचित करना।
(f) वाहन को साफ–सुथरा तथा कार्य अवस्था में रखना।

8. इस अनुबन्ध के प्रारम्भ होने के समय द्वितीय पक्ष द्वारा जनशक्ति की सूची उपलब्ध करायी जायेगी, जिसमें निम्न अर्हता सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न किये जायेंगें–

a. शैक्षिक योग्यता – कक्षा–8 उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र ।
b. पहचान प्रमाण पत्र (यथा वोटर आई0डी0, आधार कार्ड आदि)
c. ड्राइविंग लाइसेन्स
d. चरित्र प्रमाण (किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा/अन्तिम शैक्षणिक संस्था द्वारा)

4. अन्य नियम एवं शर्ते

(1) संस्था द्वारा प्रथम पक्ष की मांग के अनुसार उपयुक्त जनशक्ति का चयन किया जायेगा जो निर्धारित कार्य हेतु अर्ह पाये जायेगें। द्वितीय पक्ष अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा चयनित जनशक्ति का आचरण एवं सत्यनिष्ठा आदि उच्च स्तर का है। द्वितीय पक्ष को प्रत्येक चयनित जनशक्ति के बारे में उसके द्वारा अन्तिम स्कूल या कालेज अथवा एक राजपत्रित अधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। द्वितीय पक्ष यह भी सुनिश्चित करेगें कि उसके द्वारा चयनित जनशक्ति में किसी के विरूद्ध कोई अपराधिक मुकदमा आदि नही है। इस सम्बन्ध में द्वितीय पक्ष शपथ पत्र देगा।

(2) संस्था प्रथम पक्ष को इस बात की जमानत देगी कि उसके द्वारा उपलब्ध करायी गयी जनशक्ति किसी प्रकार के असंवैधानिक कार्य में सम्मिलित नही हैं। द्वितीय पक्ष (संस्था) अपने द्वारा उपलब्ध कराये गये जनशक्ति के सम्बन्ध में श्रम एवं औद्योगिक कानूनों के अन्तर्गत दिये गये प्राविधानों का पालन करेगीं और उन्हें निर्धारित मजदूरी इत्यादि का भुगतान सुनिश्चित करेगी। द्वितीय पक्ष किसी भी प्रकार के नियम एवं कानून के सम्बन्ध में सम्भावित कार्यवाही के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

(3) यदि कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कारणों अथवा अन्य कारणों से काम छोड़ता है तो द्वितीय पक्ष उसकी जगह पर अग्रिम रूप से वैकल्पिक व्यवस्था करेगा। यदि इस व्यवस्था में किसी प्रकार का दोहरा भुगतान होता है तो उसके लिए द्वितीय पक्ष उत्तरदायी होगा और ऐसा भुगतान प्रथम पक्ष से द्वितीय पक्ष द्वारा नहीं मांगा जायेगा।

(4) इस अनुबन्ध की समाप्ति पर द्वितीय पक्ष (संस्था) अपनी समस्त जनशक्ति को वापस लेगा और उनके जो भी बकाया इत्यादि है उनका भुगतान सुनिश्चित करेगा। संस्था द्वारा किसी जनशक्ति की सेवायें समाप्त करने या इस प्रकार के अन्य किसी विवाद के सम्बन्ध में संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी तथा इस सम्बन्ध में जो भी भुगतान आदि करना होगा वह संस्था द्वारा किया जायेगा।

5. **निम्न विषयों पर द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को पूर्ण जमानत देनी होगी**

(1) इस अनुबन्ध की अवधि में द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये जनशक्ति/व्यक्तियों के द्वारा किसी भी प्रकार के भौतिक व वित्तीय नुकसान पहुँचाने या इस अनुबन्ध को कियान्वित करने में किसी प्रकार के विधिक आवश्यकता आदि के लिए द्वितीय पक्ष पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा।

(2) श्रम न्यायालय अथवा अन्य किसी प्राधिकृत न्यायालय द्वारा जारी आदेश, जो अनुबन्धित जनशक्ति तथा द्वितीय पक्ष के बीच में उत्पन्न किसी विवाद के कारण पारित आदेश से सम्बन्धित भुगतान का उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

आरबिटेशन न्यायालय अथवा किसी न्यायिक अथवा क्वासी ज्यूडिशियल प्राधिकरण द्वारा पारित किसी अवार्ड/डिक्री के लिए द्वितीय पक्ष उत्तरदायी होगा।

(3)अन्य विषय

1. द्वितीय पक्ष/संस्था इस अनुबन्ध हेतु स्वतंत्र ठेकेदार माना जायेगा।
2. यह अनुबन्ध किसी भी दशा में प्रथम पक्ष तथा संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी जनशक्ति के बीच नियोक्ता/कर्मचारी का सम्बन्ध होने का अधिकार अथवा इस प्रकार की परिस्थिति हेतु मान्य नही होगा। उपलब्ध करायी गयी जनशक्ति द्वितीय पक्ष के कर्मचारी होंगे तथा प्रथम पक्ष से किसी प्रकार के अनुतोष के अधिकारी नहीं होंगें।
3. यह स्पष्ट किया जाता है कि द्वितीय पक्ष सदैव अपने द्वारा उपलब्ध करायी गयी जनशक्तियों में मुख्य नियोक्ता माना जायेगा चाहे प्रथम पक्ष द्वारा उनका उपयोग अपने कार्यक्षेत्र में कही भी किया जाये।
4. यह अनुबन्ध प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के मध्य होगा और किसी भी दशा में प्रथम पक्ष अथवा द्वितीय पक्ष किसी और संस्था अथवा व्यक्ति को अपना एजेन्ट अथवा पैरोकार नहीं बनायेगें और न ही कोई अन्य संस्था इस करार में पक्षकार के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करेगी।
5. किसी दुर्घटना अथवा चोट के सम्बन्ध में यदि Workman Compensation Act PartVIII 1923 तथा उसमें किये गये संशोधनों के अनुसार यदि कोई Compensation की देयता बनती है तो उसके लिए संस्था (द्वितीय पक्ष) उत्तरदायी होगा। प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी नही होगा।
6. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये व्यक्ति/जनशक्ति किसी भी दशा में अनुतोष,समायोजन या सेवा में नियमितीकरण का कोई भी दावा पशुपालन विभाग से नही करेगें। Industrial Disputes Act 1947 तथा Contract Labour (Registration &Abolition Act, 1970के अन्तर्गत सेवाओं के नियमितीकरण अथवा पशुधन विभाग में किसी प्रकार के समायोजन की मांग न करने सम्बन्धी शपथ पत्र सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्था (द्वितीय पक्ष) द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।
7. द्वितीय पक्ष द्वारा भेजे गये व्यक्ति का प्रथम पक्ष के साथ मालिक एवं नौकर का सम्बन्ध नही होगा। उक्त के अतिरिक्त संस्था द्वारा भेजे गये व्यक्ति/संस्था के कर्मचारी प्रथम पक्ष के किसी भी कार्यालय एवं शाखा में किसी भी प्रकार का लाभ अथवा अधिकार नही मांगेगें। इस प्रकार भेजे गये समस्त व्यक्ति द्वितीय पक्ष के पेरोल पर होगें।

6. **दायित्व**

I-द्वितीय पक्ष का यह दायित्व होगा कि:–

1. जो कार्य उन्हें सौपा गया है उसे करने हेतु यदि किसी लाइसेन्स, परमिट, सहमति, स्वीकृति इत्यादि की आवश्यकता हो उसे वह स्वयं प्राप्त कर करेगा।

द्वितीय पक्ष अपने व्यय पर सभी नियमों, कानूनों एवं विधियों तथा उपविधियों जो करार की अवधि में भारत सरकार अथवा प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किया गया हो, का अनुपालन तथा इस सम्बन्ध में उत्पन्न देयता के लिए पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा। प्रथम पक्ष (पशुपालन विभाग) इसके लिए उत्तरदायी नही होगा।

2. द्वितीय पक्ष Workman Compensation Act के अन्तर्गत प्रथम पक्ष को उपलब्ध कराये गये सभी ड्राइवरो का बीमा कराने हेतु उत्तरदायी होगें।
3. करार अवधि में यदि द्वितीय पक्ष द्वारा भेजे गये किसी व्यक्ति के विरूद्ध विधिक कार्यवाही होती है या वह किसी कानूनी मामले में नामित होता है अथवा किसी व्यक्ति द्वारा उसे चोट पहुँचायी जाती है या धरना प्रदर्शन कर रहे समूह द्वारा उसे कोई क्षति पहुँचायी जाती है भले ही वह उस समय पशुपालन विभाग द्वारा निर्धारित डयूटी सम्पादित कर रहा हो, उसे ऐसी परिस्थितियों में सहायता देने अथवा बचाव देने अथवा उसके उपचार पर होने वाले व्यय या वित्तीय सहायता के लिए द्वितीय पक्ष उत्तरदायी होगा और इस सम्बन्ध में द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष से किसी प्रकार की कोई वित्तीय भार वहन करने की मांग नहीं करेगा। करार की अवधि में यदि द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये व्यक्ति के किसी कृत्य के कारण यदि प्रथम पक्ष (मुख्य पशु चिकित्साधिकारी) को किसी वित्तीय मामले में पक्षकार बनाया जाता है तो द्वितीय पक्ष उससे सम्बन्धित व्यय अथवा भुगतान के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा तथा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे किसी व्यय को द्वितीय पक्ष के बिलों तथा मजदूरी से वसूलने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
4. द्वितीय पक्ष अपने कार्मिकों का कार्य आवधि में उचित आचरण एवं कार्य व्यवहार सुनिश्चित् करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा उसके उपलब्ध कराये गये व्यक्ति और जनशक्ति प्रथम पक्ष के कार्यालय में मदिरापान नहीं करेगा और इस सम्बन्ध में उनके द्वारा सख्त अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. द्वितीय पक्ष अपने विज्ञापन में नाम, पता तथा कार्य का उल्लेख करते हुए व्यक्तियों की नियुक्ति हेतु आवदेन पत्र नही मांगेगा। उक्त के अतिरिक्त द्वितीय पक्ष सुनिश्चित करेगें कि किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार का सिक्योरिटी डिपॉजिट अथवा अन्य कोई धनराशि इस आधार पर नही ली जायेगी कि उन्हें प्रथम पक्ष के यहाँ नियुक्त किया जाना है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार की कोई शिकायत प्रथम पक्ष के संज्ञान में पायी जाती है तो द्वितीय पक्ष का उत्तरदायित्व स्थापित होने के बाद यह अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।

II- संस्था(द्वितीय पक्ष) अपनी ओर एक समन्वयक नियुक्त करेगा, जो उपलब्ध कराये गये व्यक्तियों तथा कार्यालय के मध्य संवाद हेतु उत्तरदायी होगा जिससे उपलब्ध कराये गये जनशक्ति के कार्यो में किसी प्रकार का व्यवधान न हो

III- **इस अनुबन्ध** का समय समाप्त होने व निरस्त होने की दशा में द्वितीय पक्ष **समस्त वाहन मुख्य** पशुचिकित्सा अधिकारी को तत्काल एवं बिना किसी व्यवधान **के वापस करेगा।** यदि इसका अनुपालन नही किया जाता है तो द्वितीय पक्ष **द्वारा जमा की गई सिक्योरिटी** धनराशि जब्त कर ली जायेगी और संस्था के **विरूद्ध कानूनी कार्यवाही प्रथम** पक्ष द्वारा की जायेगी।

IV- इस अनुबन्ध के नियम एवं शर्तो में यदि कोई बिन्दु अपरिभाषित या विस्मरित है तो वह निविदा प्रपत्र में दिये गये नियमों एवं शर्तों के अधीन एवं वे शर्तें इस अनुबन्ध का भाग मानी जायेगी।

6.2 प्रथम पक्ष को निम्न अधिकार होगें:–

(a) द्वितीय पक्ष द्वारा भेजे गये वाहन चालकों का चरित्र प्रमाण पत्र, पहचान पत्र तथा योग्यता सम्बन्धित अभिलेखों का पुनः सत्यापन करने पर, यदि यह विदित हेाता है कि उपलब्ध कराये गये ड्राइवरो द्वारा अपनी योग्यताओं इत्यादि के बारे में गलत तथ्य प्रस्तुत किये गये है, तो द्वितीय पक्ष को उन ड्राइवरों को तत्काल वापस लेना होगा तथा 15 दिन से अनाधिक अवधि में उसका प्रतिस्थानी उपलब्ध कराना होगा।

(b) अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार ड्राइवर की तैनाती अथवा स्थानान्तरण करने का अधिकार।

(c) यदि किसी ड्राइवर के सम्बन्ध में निम्न प्रकार की सूचना प्राप्त होती है तो द्वितीय पक्ष से उसके प्रतिस्थानी की मांग करना।

i- कार्यशैली व सत्यनिष्ठा सम्बन्धित किसी शिकायत पर।

ii- अपने कार्य से 7 दिन से अधिक अनाधिकृत अनुपस्थिति।

iii- सम्बन्धित कार्यालय द्वारा जारी मौखिक अथवा लिखित आदेशों की अवहेलना करने पर।

iv- कार्य करने से मना करने पर

v- प्रशासनिक आधार पर

(e) यदि द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की चोरी, धोखाधड़ी अथवा ऐसे किसी कृत्य का पता चलता है जो संदिग्ध आचरण की परिभाषा में आता हो तो द्वितीय पक्ष द्वारा इसकी सूचना प्रथम पक्ष को दी जायेगी और प्रथम पक्ष को इस सम्बन्ध में यथोचित कार्यवाही का अधिकार होगा।

(f) द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति की दशा में प्रथम पक्ष को उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को कार्य निष्पादन का आदेश देने का अधिकार होगा।

7. भुगतान

7.1 सेवा शुल्क

प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को सेवाशुल्क का भुगतान निम्न शर्तो का अनुपालन होने पर किया जायेगाः–

1. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को दी गयी सूची में दिये गये नामों में से ही ड्राइवर उपलब्ध कराये गये हों अथवा अन्यथा की स्थिति में प्रथम पक्ष की सहमति प्राप्त कर ली गयी हो।

2(i) प्रत्येक माह की संकलित धनराशि जो अनुबन्ध पर लगाये गये ड्राइवरों की संख्या तथा उनके लिए स्वीकृत मासिक मजदूरी के अनुसार द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को उपलब्ध करायेगा, जैसा कि समय–समय पर प्रथम पक्ष द्वारा अनुमोदित किया गया होगा एवं अनुमन्य अनुमोदित मान्य दरें द्वितीय पक्ष को उपलब्ध करायी जायेगीं एवं द्वितीय पक्ष उक्त को स्वीकार करेगा।

2(ii) **मजदूरी/भत्तों की संरचना (मासिक आधार पर)**

1. मूल मजदूरी (मंहगाई भत्ता सहित)
2. ई0पी0एफ0
3. ई0एस0आई0
4. सेवाकर
5. अन्य कर जो निर्धारित एवं देय हो
6. कुल सेवा शुल्क

(रू0 .... मात्र)

नोट –

क–भुगतान के समय निर्धारित इन्कम टैक्स (टी0डी0एस0) की कटौती की जायेगी।

ख–भारत सरकार के विज्ञप्ति संख्या–30/2012–सर्विस टैक्स 20/06/2012 के अनुसार 75 प्रतिशत सर्विस टैक्स की कटौती प्रथम पक्ष के द्वारा स्रोत पर टी.डी.एस. के रूप में की जायेगी और उसे (टी0डी0एस0) सम्बन्धित खाते में जमा किया जायेगा। शेष 25 प्रतिशत सर्विस टैक्स के रूप में सेवा प्रदाता(द्वितीय पक्ष) को भुगतान किया जायेगा।

ग– चूँकि सेवा शुल्क मासिक आधार पर भुगतान किया जायेगा इसलिए छुट्टियों तथा तात्कालिक आवश्यकता से सम्बन्धित कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जायेगा।

3–द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी जनशक्ति को समस्त पारिश्रमिक का भुगतान एवं सांविधिक भुगतान/कटौतियॉ यथा ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0, शुल्क अथवा सेवा शुल्क इत्यादि के भुगतान का भार द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा। इन देयों/कटौतियों का साक्ष्य द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को बिल प्रस्तुत करते समय देना होगा। प्रथम पक्ष द्वारा समय–समय पर लागू नियमों के आधार पर कर एवं उपकर की कटौती अन्तिम बिल पर कर ली जायेगी।

7.2 भुगतान की शर्ते

प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को निम्नानुसार बताईं जाती हैं–

1. भुगतान नियमानुसार सेवाशुल्क के हिसाब से किया जायेगा, जिसका भुगतान अगले माह में द्वितीय पक्ष के बिल देने के उपरान्त किया जायेगा। प्रथम पक्ष द्वारा दिया गया शुल्क इस करार नामे के अन्त तक मान्य होगा एवं इस करार की अवधि में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी का उत्तरदायी नही होगा।
2. द्वितीय पक्ष अपने भुगतान के लिए सभी बिलों/भुगतान इनवायस को इस अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप अगले माह के 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित कार्यालय में जमा करेगा।
3. प्रथम पक्ष द्वारा सभी रसीदों की प्राप्ति के उपरान्त 15 कार्यदिवसों के अन्दर जॉच कर भुगतान करना होगा।
4. सभी बिल/भुगतान इनवायस द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये जायेंगें एवं प्रथम पक्ष बिलों की जॉच के उपरान्त निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुरूप पाये गये बिलों का भुगतान करने हेतु बाध्य होगा। प्रथम पक्ष किसी भी स्थिति में द्वितीय पक्ष के किसी भी कर्मचारी को किसी भी प्रकार का भुगतान नही करेगा और न ही इस विषय में किसी भी प्रकार के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करेगा। द्वितीय पक्ष अपने कर्मचारियों को मजदूरी, भत्तें या कोई और अन्य भुगतान करने के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।
5. द्वितीय पक्ष जनशक्ति आपूर्ति के सम्बन्ध में निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों को सुनिश्चित करेगा–

   (i) द्वितीय पक्ष सरकार द्वारा बनाये गये समस्त नियमों एवं प्राविडेण्ट फण्ड, इनकमटैक्स अधिनियम के अन्तर्गत टी.डी.एस. कटौती सम्बन्धी नियमानुसार भुगतानों आदि को मानने के लिये बाध्य होगा।

   (ii) द्वितीय पक्ष सभी वाहन चालकों का बीमा Workman Compensation Act, 1897 के अन्तर्गत करायेगा।

(iii) द्वितीय पक्ष सभी वाहन चालकों को मजदूरी आदि का भुगतान करेगा तथा उसकी रसीद की छाया प्रति प्रथम पक्ष को उपलब्ध करायेगा।

6. प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को भुगतान तभी करेगा जब द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन चालकों के ई0पी0एफ0 के भुगतान के अभिलेखों के छाया प्रति प्रथम पक्ष को उपलब्ध करायी जायेगी।
7. प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को भुगतान बजट उपलब्ध होने पर ही करेगा और बजट में विलम्ब के कारण भुगतान में देरी के लिए द्वितीय पक्ष किसी भी प्रकार का ब्याज अथवा मुआवजे की मांग नहीं करेगा।

7.3 भुगतान के लिए अतिरिक्त परिच्छेद

1. द्वितीय पक्ष किसी भी प्रकार का भुगतान, मानदेय, बीमा, वर्कमैन कम्पनसेशन एवं ई0एस0आई0 या अन्य किसी मद में भुगतान प्राप्त करने के लिए अनुज्ञप्त है तथा द्वितीय पक्ष किसी भी प्रकार की अनहोनी होने में स्वयं भुगतान की जिम्मेदार होगी।
2. संस्था(द्वितीय पक्ष) उपरोक्तानुसार आवश्यक प्रपत्र प्रथम पक्ष को उपलब्ध करायेगा एवं प्रथम पक्ष किसी भी वाहन चालक को किसी भी प्रकार का भुगतान किसी भी मद में करने हेतु जिम्मेदार नहीं होगा, चाहें वह बीमा हो, मजदूरी हो या अन्य कोई मद।
3. प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को वास्तविक अवधि के आधार पर किये गये कार्यों का भुगतान किया जायेगा और द्वितीय पक्ष सेवा अवधि में कमी या वृद्धि के कारण किसी अतिरिक्त भुगतान पाने का हकदार नहीं होगा। बिना पूर्व सूचना अथवा अनुमति के सेवा उपलब्ध न कराने की दशा में उन दिवसो के सापेक्ष भुगतान की समानुपातिक रूप से कटौती कर ली जायेगी।
4. सेवा शुल्क का भुगतान अनुमन्य दरों के आधार पर निर्धारित होगा, जोकि उस समय लागू नियमों के अधीन होगा।
5. प्रथम पक्ष को किसी क्षति या हानि होने पर धनराशि की कटौती द्वितीय पक्ष द्वारा दिये गये सिक्योरिटी डिपाजिट से करने का अधिकार होगा। (यदि ऐसी क्षति द्वितीय पक्ष के स्टाफ की लापरवाही के कारण हुई है।)
6. द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा तैनात किये गये व्यक्तियों द्वारा प्रथम पक्ष की उन सम्पत्तियों, जहाँ वह स्थित हो, को बाहर बिना अनुमति के नहीं ले जायेगा तथा बिना अनुमति वाहन का संचालन नहीं करेगा।
7. द्वितीय पक्ष पर जो भी टी0डी0एस0, इनकम टैक्स वाजिब होगा, भुगतान के समय कटौती कर ली जायेगी।

8. **परफार्मेन्स गारण्टी/सिक्योरिटी डिपाजिट**

1. द्वितीय पक्ष इस करार के हस्ताक्षर होने के 10 दिन के भीतर रू0 ......(जनपद के अनुसार) की परफार्मेन्स गारन्टी प्रस्तुत करेगा, जो फिक्स डिपाजिट के रूप में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की होगी और प्रथम पक्ष के पदनाम से बंधक होगी।
2. उक्त गारण्टी एक अतिरिक्त अनुबन्ध के रूप में मानी जायेगी तथा मुख्य करारनामे में की गयी व्यवस्थाओं को छोड़ते हुए परफॉर्मेन्स गारण्टी इस करार के पूरा होने अथवा किसी अन्य कारणों से पहले समाप्त किये जाने की दशा में सम्पूर्ण लेखा–जोखा बनने और किसी भी बकाया दायित्व, के समायोजन के पश्चात ही अवमुक्त की जायेगी।
3. इस अनुबन्ध के सफलतापूर्वक पूर्ण होने और ऊपर के पैरा में दी गयी शर्तो के पूरा होने की स्थिति में प्रथम पक्ष 30 दिन के भीतर इस परफॉर्मेन्स गारण्टी को अवमुक्त कर देगा।

9. **प्रतिनिधित्व**

1. द्वितीय पक्ष इस आशय का एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह किसी प्राधिकारी द्वारा ब्लैक लिस्ट अथवा डिबार नही किया गया है।
2. **संलग्नक–बी(Annexure-B)** में दिये गये बिन्दुओं पर द्वितीय पक्ष एक शपथ पत्र जो रू0 100/– के (नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर) पर होगा तथा किसी नोटरी अथवा एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित होगा और वह इस करारनामे का भाग माना जायेगा।
3. द्वितीय पक्ष संलग्नक–सी**(Annexure-C)** में एक जमानती पत्र भरेगा जो किसी नोटरी अथवा एक्जीक्यूटिव मेजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होगा।
4. परफार्मेन्स गारण्टी, संलग्नक–बी में दिया गया शपथ पत्र संलग्नक–सी पर दिया गया जमानत प्रपत्र तथा अन्य कोई अभिलेख जिसका उल्लेख इस अनुबन्ध में किया गया है, जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा यह अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है ओर ऐसी दशा में द्वितीय पक्ष द्वारा जमा की गयी अग्रिम धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
5. यह कि द्वितीय पक्ष पिछले तीन वर्ष के इनकम टैक्स रिटर्न तथा इनकम टैक्स क्लीयरेन्स प्रमाण–पत्र दाखिल करेगा।
6. द्वितीय पक्ष का यह दायित्व होगा कि वह ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 तथा सर्विस टैक्स इत्यादि की कटौती और सम्बन्धित स्टाफ के खाते में जमा करने का विवरण प्रत्येक महीने की 20 तारीख को दाखिल करेगा ताकि प्रथम पक्ष को इसकी कटौती और जमा होने पुष्टि हो सके।
7. द्वितीय पक्ष दिये गये कार्य को किसी अन्य संस्था एवं व्यक्ति को किसी भी दशा में Sublet (शिकमी) नही करेगा।

8. द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा मुहैया कराये गये व्यक्तियों के पास एक पहचान पत्र उपलब्ध हो, जिसकी व्यवस्था द्वितीय पक्ष अपने संसाधनों से करेगा।

10. **अनुबन्ध समाप्त किया जाना**

1. किसी भी ommission or commission (अकरण कृत्य) की दशा में तथा किसी material breach की परिस्थिति में प्रथम पक्ष को 30 दिन का नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा।
2. अनुबन्ध समाप्त होने की दशा में द्वितीय पक्ष अपने द्वारा उपलब्ध करायी गयी जनशक्ति जो प्रथम पक्ष के कार्यक्षेत्र में कार्यरत हो, उसे तुरन्त वापस लेना होगा।
3. द्वितीय पक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसके पास जो भी गोपनीय सूचना व प्रपत्र आदि हों, उनको किसी अन्य को हस्तगत नहीं करेगा और उन्हें प्रथम पक्ष को वापस करेगा।

11. **विवाद निष्पादन**

1. किसी विवाद की स्थिति में जो इस अनुबन्ध के कारण दोनों पक्षो के बीच में या इसके किसी प्राविधान की व्याख्या जो द्वितीय पक्ष द्वारा अपने स्तर पर न निपटाया जा सके वह 60 दिन के भीतर सम्बन्धित मण्डल(मण्डल का नाम) के अपर निदेशक, ग्रेड–2 को संदर्भित किया जायेगा जो कि सोल(पूर्ण) आर्बिट्रेटर के रूप में कार्य करेगा और उनके द्वारा दिया गया निर्णय दोनो पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

2. मध्यस्थता और समझौता एक्ट–1996(यथासमय संशोधित) इस अनुबन्ध के सम्बन्ध में इस प्रतिबन्ध के साथ लागू होगा कि मध्यस्थता का स्थान मण्डलीय मुख्यालय होगा तथा न्यायिक मामलों के निस्तारण के लिए मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी से सम्बन्धित जनपद के न्यायालय होगें।

12. **गोपनीयता**

दोनो पक्ष सहमत हैं कि इस अनुबन्ध की कार्य अवधि में बहुत से प्रकरण जो गोपनीय हो सकते हैं (भले ही उन पर गोपनीय अथवा proprietary अंकित न हो, जो एक दूसरे पक्ष के व्यवसाय, न्यायिक, वित्तीय, तकनीकी, व्यापारिक अथवा मार्केटिंग से सम्बन्धित अभिलेख डेटा सूचनायें गोपनीय रखेगें और उसे किसी भी स्थिति में बिना पूर्व अनुमति के किसी भी व्यक्ति अथवा पक्ष को नहीं बतायेगें और न ही इसका उपयोग इस अनुबन्ध के निष्पादन सम्बन्धी कार्यो के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में करेगें।

दोनों पक्ष यह सुनिश्चित करेंगें कि इन सूचनाओं की गोपनीयता किसी प्रकार से भंग न हो और इसको अधिकृत रूप से देश में संचालित कानूनों एवं नियमों के अधीन

सुनिश्चित करेगें। द्वितीय पक्ष इन सूचनाओं के दुरूपयोग, क्षतिनष्ट होने या उनमें किसी प्रकार का रद्दोबदल होने से संरक्षित रखेगें। इन प्राविधानों का उल्लंघन होने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही तथा क्षति पूर्ति का दावा कर सकेगें।

द्वितीय पक्ष यह स्वीकार करता है कि इन प्राविधानों के अतिक्रमण होने की दशा में जो उसके द्वारा अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी संस्था या व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो प्रथम पक्ष को उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने का अधिकार होगा। किसी कानूनी विवाद के लिए मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी के कार्यक्षेत्र का जनपद के न्यायालय की कार्यसीमा ही मान्य होगी।

13. क्षतिपूर्ति

द्वितीय पक्ष अपने खर्चे पर सभी प्रकार के श्रम कानूनों तथा व्यवसायिक कानूनों जिसमें पी0एफ0 और ई0एस0आई0 के संचालन और इन मामलों में लागू अन्य नियम एवं कानूनों के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित करेगा कि उसके किसी भी कृत्य से प्रथम पक्ष को किसी भी प्रकार की क्षति अथवा देयता न उत्पन्न हो। द्वितीय पक्ष यह भी सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा सम्बन्धित कानूनों के उल्लंघन से प्रथम पक्ष को किसी तरह की क्षति अथवा देयता किसी तृतीय पक्ष के कारण उत्पन्न न हो। तृतीय पक्ष का आशय उसके द्वारा उपलब्ध करायी गयी जनशक्ति से भी माना जा सकता है।

14. इस अनुबन्ध का कोई भी भाग यदि किसी प्रचलित नियम/अधिनियम द्वारा प्रतिबन्धित या उस स्तर तक प्रतिबन्धित हो, तो ऐसे भागो को छोड़कर वह भाग, जो कि प्रभावित न होते हो, इस अनुबन्ध का हिस्सा बने रहेंगें। यह अनुबन्ध पत्र दोनो पक्षों पर बाध्यकारी है।

प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष
साक्षी	साक्षी
1	1
2	2

AFFIDAVIT

I__________S/O ________ resident__________________district____________________ contractor/Partner/Sole Proprietor (Strike off word which is not applicable) of the firm M/s _________ do hereby solemnly affirm and declare that

(1) our firm/company is not blacklisted by Government or any organization

(2) any individual/firm companies blacklisted by the Union Govt.or UT Government or State Government or any partner or shareholder thereof is / are not directly or indirectly connected with or has any subsisting interest in the business of my our above said firm.

D E P O N E N T

Dated______________

Place ______________

I hereby solemnly declare and affirm that the above declaration is true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and it conceals nothing.

D E P O N E N T

Dated ____________

Place ______________

ANNEXURE-'C'

(FORMAT OF THE INDEMNITY BOND)

KNOW ALL MEN by these presence that I proprietor/partner/director of________________________________

(name of the company etc.) (hereinafter called the principal of the second party as per agreement) and Resident of ______________________________________ and Son of Sh. _______________________________ entered into an agreement with (office of the concerned CVO) principal of the first party as per agreement) on behalf of the (name of the second party) do hereby jointly and severely bind ourselves and our respective heir, executors, administrators, legal representative, indemnity (office of the concerned CVO) (which expression shall include its successors or assigns) on demand the entire cost, damages and loss imposed in respect of any dispute, award, reconciliation by any Labor Court, authority under the appropriate Labor Laws, Courts and Labor Court etc. or in respect of other eventualities covered under the agreement signed and also the penalty imposed by (office of the concerned CVO) as per the agreement signed between the above parties.

Signed this _______________ day of __________________two thousand and __________________________________ that, I on behalf of _________________ second party to the agreement hereby submits separate F.D.R. for Rs. …….. (As per District) valid for one year which can be charged by the first party to agreement namely (office of the concerned CVO) for any cost, damage, loss or penalty as and when such cost, damage, loss or occurs.

IN WITNESS WHEREOF, the second party have set and subscribed their respective hand to agreement hereinto on the day, month and year above-written.

Signed by the above – named "Obligor" in the presence of

1.

2.

accepted for and on behalf of (office of the concerned CVO) (Name and designation of the Officer directed or authorized to accept the Bond for and on behalf of (office of the concerned CVO)) in the presence of __________________ (name and designation).

In case of any non-compliance: of the clauses/terms of the contract (agreement) or in case of second party fails to implement the conditions of the agreement for deployment of workers to the entire satisfaction of the first party on any day in any area of posting of workers of the second party. The first party shall have the right to impose penalty as deems fit by (office of the concerned CVO) and may forfeit the security deposit (F.D.R.) in full or any part thereof at his sole discretion and the decision. Give certificate regarding restoration of satisfactory service/compliance of clauses of the contract by the second party. All theses penalties would be chargeable against Security deposit and penalties/fines would be imposed by the (office of the concerned CVO). The second party shall have the right to appeal before concerned AD-2 of the district. The decision of

the AD-2 of the concerned district in this regard shall be final and binding.

WITNESSES

1. Signature: | Signature:

Name | Name:

Date: | Date:

Designation: | Designation:

2. Signature

Name:

Date:

Designation:

For and on behalf of the

The CVO of concerned district

SIGNED, SEALED AND DELIVERED